नकल वता. अ... जो इस हुक्म ... तामील में जारी हुआ

# न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राज0)

**पीठासीन अधिकारीः— श्री रोहिताश्व सिंह तोमर आई0ए0एस0**

प्रकरण संख्या— 03/2019

बउनवान

जानकीलाल पुत्र जयलाल आयु 57 वर्ष, जाति मोग्या, निवासी कोटड़ी, तहसील अन्ता जिला बारां, राज0

(प्रार्थी)

बनाम

1. गणेश पुत्र किशना जाति मेहर निवासी सोरसन तहसील अन्ता (मृतक)
1/1. अमरलाल पुत्र गणेश जाति मेहर निवासी सोरसन तह0 अन्ता
1/2. अमरीबाई पुत्री गणेश पत्नि भगवानदास जाति मेहर निवासी बालाखेड़ा तह0 अन्ता
1/3. शांतिबाई पुत्री गणेश पत्नि छीतरलाल जाति मेहर निवासी विनोद तहसील सांगोद
1/4. सुगनाबाई पुत्री गणेश पत्नि गंगाधर जाति मेहर निवासी मालियों का नौताड़ा तह0 सांगोद
2. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार, अन्ता जिला बारां (राज0)

(अप्रार्थीगण)

**प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा, 14 (4) कृषि भू आवंटन नियम, 1970**

जिला कलेक्टर न्यायालय बारां (राज0)

उपस्थिति :— 1. श्री नरेन्द्र सिंह हाड़ा, अभिभाषक (प्रार्थी)
2. श्री जयेश सक्सेना, अभिभाषक (अप्रार्थीगण)

**निर्णय दिनांक 28.02.2024**

प्रार्थी की ओर से जर्ये अभिभाषक प्रस्तुत प्रार्थना पत्र संक्षेप में इस प्रकार है कि आराजी खसरा नंबर पुराना 263 रकबा 9 बीघा 1 बिस्वा नया खसरा नंबर 262 रकबा 1.65 है. वाके माल सोरसन अप्रार्थी क्रम 1 को दिनांक 29.11.1975 को आवंटन हुई थी लेकिन आवंटन दिनांक से आज दिन तक अप्रार्थी क्रम 1 का आराजी पर कोई कब्जा नहीं रहा है। उपरोक्त आराजी को प्रार्थी ने काफी पैसा व मेहनत लगाकर अरसा करीबन 35 साल पूर्व कृषि योग्य बनाया था जब से निरन्तर प्रार्थी ही उपरोक्त आराजी पर काबिज काश्त चला आ रहा है। आवंटन शर्तों का पालन नहीं किया गया है। अतः प्रार्थी का प्रार्थनापत्र स्वीकार फरमाकर भू आवंटन कमेटी अन्ता का आदेश दिनांक 29.11.1975 निरस्त फरमाया जाकर उपरोक्त आराजी को प्रार्थी को आवंटन किये जाने की सिफारिश की जावे।

इस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जर्ये सम्मन तलब किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय से भू आवंटन रेकार्ड तलब किया गया। दौराने विचारण अप्रार्थी क्रम 1 की मृत्यु होने से उसके विधिक वारिसान को रेकार्ड पर लिया गया। अप्रार्थीगण की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र पेश नहीं हुआ। अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड प्राप्त होने पर हमने बहस उभयपक्ष विद्वान अभिभाषकगण सुनी।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rohitashva Singh Tomar
Date: 2024.03.13 10:46:27 IST
Reason: SelfAttested

बहस के दौरान विद्वान अभिभाषक प्रार्थी ने प्रार्थनापत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अप्रार्थी क्रम 1 का आवंटित आराजी पर कभी कब्जा नहीं रहा तथा वर्तमान में भी प्रार्थी ही उपरोक्त आराजी पर काबिज काश्त है। प्रार्थी उपरोक्त आवंटित आराजी पर सन् 1968 से निरन्तर काबिज काश्त चला आ रहा है। अप्रार्थी क्रम 1 द्वारा आवंटन शर्तों की पालना नहीं की

जिला कलक्टर
बारां (राज0)

है। अतः प्रार्थी का प्रार्थनापत्र स्वीकार कर अप्रार्थी के पक्ष में जारी किया गया आवंटन आदेश दिनांक 29.11.1975 निरस्त फरमावें।

दौराने बहस अभिभाषक अप्रार्थीगण ने कथन किया कि अप्रार्थी क्रम 1 भूमिहीन होने से आराजी खसरा नंबर पुराना 263 रकबा 9 बीघा 1 बिस्वा नया खसरा नंबर 262 रकबा 1.65 है. वाके माल सोरसन का नियमानुसार आवंटन किया जाकर दखल दिया गया है। आवंटन के बाद से ही अप्रार्थी उक्त आराजीयात पर अपने जीवनकाल में काबिज काश्त रहा है तथा वर्तमान में उसके वारिसान अप्रार्थी क्रम 1/1 ता 1/4 बहैसियत खातेदार काबिज काश्त हैं तथा खातेदार के विरूद्ध प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14(4) भू आवंटन नियम 1970 पोषणीय नहीं होने से खारिज फरमाया जावे।

हमने बहस उभयपक्ष पर मनन किया तथा सम्पूर्ण पत्रावली का गहनतापूर्वक अवलोकन किया गया। मुताबिक रेकार्ड आराजी खसरा नंबर 433 रकबा 13 बीघा 8 बिस्वा का आवंटन गणेशराम पुत्र किशना जाति मेहर निवासी सोरसन को किया गया। तथा आवंटित भूमि पर आवंटी को खातेदारी अधिकार प्रदान किये जा चुके हैं। ऐसी स्थिति में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत कृषि भूमि आवंटन नियम 14(4) के तहत पोषणीय नहीं होना पाया जाता है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी अन्तर्गत कृषि भूमि आवंटन नियम 14(4) के तहत पोषणीय नहीं होने से खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 28.02.2024 को सरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलेक्टर बारां (राज०)

(रोहिताश्व सिंह तोमर)
जिला कलक्टर बारां (राज०)
जिला कलक्टर,बारां

Signature Not Verified

Digitally signed by Rohitashva Singh Tomar
Date: 2024.03.13 10:46:27 IST
Reason: SelfAttested